फर्द अहकाम

मंगलदास ..... बनाम भारत संघ वगैरह

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जिला कोटपूतली–बहरोड़

केस संख्या 63 / 2023 धारा 24 अल्पवयस्क

क्र.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	13/9/23	राजस्व (ग्रुप–1) विभाग राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 05.08.2023 के अनुसार दिनांक 07.08.2023 से नवजिला कोटपूतली – बहरोड का सृजन किये जाने से पत्रावली न्यायालय जिला कलक्टर / न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर जयपुर ..... से स्थानान्तरण होकर प्राप्त होने पर पेश हुई। प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो। पक्षकारान / वकील उभयपक्षकारान को अदालती नोटिस जारी हो। पत्रावली दिनांक 13/12/23 को पेश हो। जिला कलक्टर कोटपूतली–बहरोड	686-87 14/11/23
	13/12/23	पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी की ओर से उसका भतीजा श्रीमति प्रकाश में उपस्थित आया। स्थगित की तलबी हेतु कथन चाहा। कथनानुसार तलबी अभिलेख होकर पत्रावली दिनांक 14/12/24 को पेश हो। जिला कलक्टर कोटपूतली–बहरोड	श्रीमति (भतीजा)
	14/12/24	पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण में प्रार्थी की उपस्थिति पूर्व में हो चुकी है तथा प्रार्थी का भतीजा उपस्थित होकर स्थगित की तलबी हेतु कथन की चाही था। लेकिन आज उपस्थित नहीं है। प्रकरण में प्रार्थी को हक सबूत दिया जाना चाहे तलबी स्थगित की हेतु दिनांक 3/1/24 को पेश हो। जिला कलक्टर कोटपूतली–बहरोड़	
	3/1/24	पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण में आवाज लगाई गई। प्रार्थी पक्ष व उनके अधिवक्ता कोई उपस्थित नहीं है। प्रार्थी को प्रकरण में पैरवी का पूर्व में पर्याप्त मौका दिया जा चुका है लेकिन पैरवी हेतु कोई उपस्थित नहीं होने पर प्रकरण बाद हाजरी कदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली रिकार्ड अनुसार तोबा दाखिल दफ्तर हो। जिला कलक्टर कोटपूतली–बहरोड़	